



टेलीफोन : 07662-257109
Telephone : 07662-257109

सैनिक स्कूल रीवा
Sainik School Rewa
मध्य प्रदेश - 486 001
Madhya Pradesh - 486001

SSR/1019/Accounts

17 Sep 2025

समस्त अभिभावक

अभिभावक परिपत्र
शैक्षणिक सत्र 2025-2026 की शुल्क जमा कराने बावत

1. विद्यालय के वेबसाइट में अपलोड निम्नलिखित परिपत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करें :-
 - 1.1 परिपत्र क्रमांकSSR/1019/Accountsदिनांक 19 अप्रैल 2025.
 - 1.2 शुल्क विवरण 2025-2026 दिनांक 19 अप्रैल 2025.
 - 1.3 परिपत्र क्रमांकSSR/1019/Accountsदिनांक 29 अप्रैल 2025.
 - 1.4 परिपत्र क्रमांकSSR/1019/Accountsदिनांक 04 अगस्त 2025.
2. उपरोक्त परिपत्रों द्वारा यह अवगत कराया गया था कि आप अपने पुत्र / पुत्री की शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के शुल्क की प्रथम किस्त रुपये 65000/-विद्यालय में दिनांक 31 मई 2025 तक तथा द्वितीय किस्त रुपये 55000/- विद्यालय में दिनांक 15 अगस्त 2025 जमा करा दें। शुल्क जमा करने हेतु पंजाब नेशनल बैंक का चालान विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा **NEFT** करने के लिए बैंक विवरण निम्नलिखित हैं :-
 - 2.1 नाम : प्राचार्य सैनिक स्कूल रीवा
 - 2.2 खाता संख्या : **0491012100000017**
 - 2.3 आईएफएस कोड : **PUNB0629300**
 - 2.4 एमआईसीआर कोड : **486024002**
 - 2.5 बैंक का नाम : पंजाब नेशनल बैंक शाखा सैनिक स्कूल रीवा (मध्य प्रदेश)
3. NEFTद्वारा शुल्क जमा कराने के उपरांत शुल्क जमा करने की रसीद सैनिक स्कूल के लेखा विभाग की मेल आईडी **acctsection.ssr@gmail.com** अथवा विद्यालय की मेल आईडी **ssrewa@sainikschoolsociety.in** पर संलग्न प्रारूप के अनुसार भुगतान विवरण के साथ एक प्रमाण पत्र में छात्र का नाम तथा विद्यालय क्रमांक एवं भुगतान की जानकारी के साथ भेजने का कष्ट करें, ताकि शुल्क छात्र के शुल्क खाते में जमा की जा सके।
4. सम्पूर्ण शुल्क जमा करने वाले छात्रों के अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अपने पुत्र/पुत्री के शुल्क की द्वितीय किस्त यदि अभी तक विद्यालय के खाते में जमा नहीं कराई है तो वे दिनांक 30 सितम्बर 2025 तक शुल्क की द्वितीय किस्त रुपये 55000/-जमा करा दें। शुल्क नहीं जमा करने पर आपके पुत्र/पुत्री को विद्यालय में रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभिभावकों की होगी।
5. मध्य प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के छात्र जिनको मध्य प्रदेश शासन से छात्रवृत्ति प्राप्त होती है उनको शुल्क की द्वितीय किस्त जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

अमृत
प्रशासनिक अधिकारी
कृते प्राचार्य
सैनिक स्कूल रीवा

